



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012022-232756
CG-DL-E-19012022-232756

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]
No. 267]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 2022/पौष 29, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 2022/PAUSHA 29, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2022

का.आ. 273(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5173(अ) दिनांक 13 दिसम्बर 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले में NH-44 के कि.मी. 9.900 से कि.मी. 19.948 (ऑफिस ऑफ़ द रेवेन्यू डिविशनल ऑफ़िसर, राजेंद्र नगर) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "18 दिसम्बर, 2021" को "द हिन्दू" अंग्रेजी और "नमस्ते तेलंगाना" तेलुगु दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले में NH-44 के कि.मी. 9.900 से कि.मी.19.948 (ऑफिस ऑफ़ द रेवेन्यू डिविशनल ऑफ़िसर, राजेंद्र नगर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: रंगारेड्डी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: शमशाबाद				
	गांव का नाम: शमसाबाद				
1	206	सरकारी	गैर कृषि	0.1113	वक्फ बौर्ई ()
			कुल	0.1113	

[फा. सं. NH-44 TS-2017-18-40/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2022

S.O. 273(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 5173(E) dated 13th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH44 on the stretch of land from Km. 9.900 to Km. 19.948 (Office of the Revenue Divisional Officer, Rajendra Nagar) in the District of RANGAREDDI in the State of TELANGANA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hindu” English and “Namaste Telangana” Telugu both dated 18th December, 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received.;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH44 in the stretch of land from Km. 9.900 to Km. 19.948 (Office of the Revenue Divisional Officer, Rajendra Nagar) in the district of RANGAREDDI in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA			District: RANGAREDDI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Shamshabad				
	Village: Shamshabad				
1	206	Government	Non-Agriculture	0.1113	Waqf Board
			TOTAL	0.1113	

[F. No. NH-44 TS-2017-18-40/3D]

RAJESH GUPTA, Director